कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–36 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

दहेज हत्या का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना को0 मनकापुर पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त रवि पुत्र देवीशंकर नि0 मछलीगॉव थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना को0 मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–435/20, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 23.11.2020 को वादी रमेश कुमार जयसवाल पुत्र स्व0 रामनरेश जायसवाल नि0 खपरी पारा मसकनवॉ थाना छपिया जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की मांग न पूरी होने पर जलाकर मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी की योजना बनाते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. बबलू तिवारी पुत्र दीपक कुमार तिवारी निवासी ग्राम सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. देवेंद्र कुमार उर्फ विक्की पुत्र श्याम मनोहर निवासी गण ग्राम सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.1.मु0अ0सं0 356/20 धारा 401 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

एक हथौड़ी ,एक प्लास, एक पेचकस, एक लोहे की रॉड, एक छीनी, एक ब्लेड, एक टॉर्च व एक चाबी का गुच्छा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24/25.11.2020 की रात्रि थाना धानेपुर के उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी

करने के उपकरण बरामद किये गये। अभियुक्तगणों को थाना धानेपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह।
02. हेड का0 शशि भूषण सिंह।
03. का0 दयानंद सिंह।